न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 42/2020

आरसीएमएस 2020/00042

1. श्रीमति मीरा देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री सुरेश सिंह पुत्र स्व0 श्री राम सिंह आयु 73 वर्ष
2. कौशलेन्द्र सिह आयु 48 वर्ष } पुत्रगण स्व0 श्री सुरेश सिंह पु स्व0 श्री राम सिह
3. हेमेन्द्र सिह आयु 41 वर्ष } अकवाम राजपूत (नरूका) निवासीगण बी–18–बी, टोडरमल मार्ग बनी पार्क, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

––अपीलार्थीगण

बनाम

1. जगदीश सिह पुत्र स्व0 श्री राम सिंह आयु 81 वर्ष जाति राजपूत (नरूका) निवासी ई–81 प्रेमनगर, झोटवाड़ा जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
2. विनोद कुमार (फौत)

2/1 श्रीमति निधि कंवर (पुत्र स्व0 श्री विनोद कुमार धर्मपत्नी श्री तेजपाल सिह राठौड़) जाति राजपूत निवासी एम.डी. सारन पब्लिक स्कूल के सामने, पाल, वीपीओ. पाल तहसील व जिला जोधपुर।

3. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ, तहसील व जिला हनुमानगढ।

–– रेस्पोडेंट

(1) अपील संख्या 43/2020

आरसीएमएस 2020/00043

1. श्रीमति मीरा देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री सुरेश सिंह पुत्र स्व0 श्री राम सिंह आयु 73 वर्ष
2. कौशलेन्द्र सिह आयु 48 वर्ष } पुत्रगण स्व0 श्री सुरेश सिंह पु स्व0 श्री राम सिह
3. हेमेन्द्र सिह आयु 41 वर्ष } अकवाम राजपूत (नरूका) निवासीगण बी–18–बी, टोडरमल मार्ग बनी पार्क, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

––अपीलार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बनाम

1. जगदीश सिह पुत्र स्व0 श्री राम सिंह आयु 81 वर्ष जाति राजपूत (नरूका) निवासी ई–81 प्रेमनगर, झोटवाड़ा जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
2. विनोद कुमार (फौत)

2/1श्रीमति निधि कंवर (पुत्र स्व0 श्री विनोद कुमार धर्मपत्नी श्री तेजपाल सिह राठौड़) जाति राजपूत निवासी एम.डी. सारन पब्लिक स्कूल के सामने, पाल, वीपीओ पाल तहसील व जिला जोधपुर।

3. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ, तहसील व जिला हनुमानगढ।

—— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.03.2020
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ
प्र0 सं0 105/2009 अनवान मीरा देवी आदि बनाम जगदीश आदि

उपस्थितिः—
श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री नरेश पारिक अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
श्री विनोद पारिक अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2/1
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं 3

निर्णय दिनांक 30.6.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 एवं 188 के अनतर्गत घोषणा खाता विभाजन, एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। वादपत्र में चक 16 एस.टी.जी. पतरि नं. 77/300 (11) किला नं. 1 ता 25 की कुल 25 बीघा भूमि स्व0 श्री रामसिंह पुत्र मदन सिह की खातेदारी भूमि होने एवं रामसिंह का देहान्त होने के कारण उसका विरास्तन इन्तकाल उनकी धर्मपत्नी ... का कथन किया। साथ ही कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय ... सिविल रिट याचिका संख्या 3313/1996 में श्री सुरेश सिंह की सिविल मृत्यु ... अवधारित करते हुए वादी संख्या 2 को मृत्यक आश्रित के रूप में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदत्त की हुई है इस प्रकार स्व0 श्री सुरेश सिह दिवंगत हो चुके हैं। वादीगण स्व0 श्री सरेश सिह के प्रथम श्रेणी के वारिस हैं। वादीगण ने स्वयं को श्री सुरेश सिह के प्रथम श्रेणी के वारिस बताते हुए प्रश्नगत भूमि में अपना हक हिस्सा होने का कथन करते हुए भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वादीगण 1/3 हिस्सा के बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित करने एवं भूमि का खाता विभाजन करने एवं वादीगण को पृथक से कब्जा दिलाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा।

2. प्रतिवादी सं0 1 ने काउण्टर क्लेम पेश किया और कथन कियाकि प्रश्गनत भूमि सव0 रामसिंह ने अपने जीवनकाल में ही सामुहिक कृषि सहकारी समिति के नियमों के अनुसार मुझ प्रतिवादी को वारिस नियुक्त कर दिया था तथा रामसिंह की मृत्यु के बाद प्रत्येक सभा व कार्यवाही में बतौर उत्तराधिकारी एवं सदस्य उपस्थित होता रहा रहा। राजस्व रिकार्ड में विरास्तन इंतकाल संख्या 127 के जरिये भूमि शांति देवी व उसके तीनों पुत्रों के नाम कतईगलत दर्ज की गई है ऐसी गलत प्रविष्टि से वादीगण को कोई हक अधिकार नहीं मिल सकते हैं। वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रश्नगत भूमि का प्रतिवादी तन्हा मालिक काबिज खतोदार काश्तकार है। बतौर मालिक खातेदार प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी के शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी बाधा के चली उसके कब्जे में चली आ रही है। प्रतिवादी ने वाद पत्र खारिज करने का कथन किया।

3. विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम करते हुए अपीलाधीन निणय एवं डिक्री दिनांक 11.03.2020 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज किया एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम को स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। अपीलाण्ट ने वाद पत्र खारिज होने एवं काउण्टर क्लेम स्वीकार होने के कारण दो अपीलें प्रस्तुत की हैं दोनों अपीलों का एक साथ निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में अलग अलग रखी जावे।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादक संख्या 5 का भार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 पर था तथा उसे यह सिद्ध करना था कि स्व0 श्री रामसिंह ने दिनांक 31.12.1972 को दुर्गा सैनिक सामुदायिक कृषि सहकारी सिमति लिमिटेड हनुमानगढ के समक्ष राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम सन 1965 व इसके अधीन बने राजस्थान सहकारी मितियां नियम 1966 के आापक प्रावधानों के अनुसार नोमिनेशन निष्पादित कर रेस्पोडेण्ट सं0 1 को नोमिनी नियुक्त किया है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने स्व0 श्री रामसिंह द्वारा नामित व्यक्ति [illegible] किये जाने के तथ्य को साबित हीं नहीं किया है। यदि उसे नामित व्यक्ति नियुक्त किया गया होता तो राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेण्ट सं0 1 के नाम से 1977 में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई होती। प्रदश–ए–1 स्व0 श्री रामसिंह द्वारा निष्पादित नहीं है बल्कि डी डब्ल्यू –1 ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि प्रदर्श ए–1–''ए'' से ''बी'8 व ''सी'' से ''डी'' हस्तलिपि मेरी है। वस्तुत प्रदर्श– ए–1 कूटरचना कर तैयार किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्थान सहकारी सिमतियां नियम 1966 के नियम 20 के अनुसार भी नामित व्यक्ति को घेाषित करने का नोमिनेशन कम से कम दो अनुप्रमाणक साक्षीगण से अनुप्रमाणित होना आवश्यक है जबकि इस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि नोमिनी को किसी मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को उततराधिकार से वंचित करने का अधिकार नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 परिवार के वरिष्ठ सदस्य थे तथा अपीलाण्ट सं0 1 विधवा और होने व अपीलाण्ट संख्या 2व 3 शिक्षारत होने`क कारण इस भूमि की देखभाल वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उसी द्वारा की जाती थी। अपीलांट को हिस्सा दिया जाता रहा था। भूमि का सुधार रेस्पोडेण्ट ने अपनी स्वयं अर्जित आय से नहीं किया बल्कि भूमि की आमदीनी से सेही ट्यूबवैल स्थापित किया था। रामसिंह के देहान्त के बाद प्रदर्श–1 इंतकाल को रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने इंकार नहीं किया है। प्रश्नगत भूमि पर स्थापित नलकूप व ठेकानामा की लिखितों के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का अनन्य कब्जा मानने में विचारण न्यायालय ने भूल की है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 संयुक्त परिवार के सदस्य हैं एवं संयुक्त परिवार की संपति में किसी एक सदस्य का कब्जा होने मात्र से उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने स्वीकार किया हे कि रामसिंह की मृत्यु के बाद हम सभी एक साथ ही रहते थे तथा बड़ा भाई होने के कारण इस परिवार की जमीन जायदाद की देखभाल मैं ही करता हूॅ। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वाद वादी खारिज करते हुए काउण्टर क्लेम स्वीकार किया है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में राजस्थान कोपारेटिव सोसायटी एकट 1965 के नियम , राजस्थान कोलेनाईजेशन एकट 1954, सीसीसी 2009 (2) पेज 660, सीसीसी 2006 (4) पेज 77, सीसीसी 2012 (3) पेज 445, सीसीसी 2018 (3) पेज 262 के न्यायिक दृष्टान्त पेशकिये

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पेाडेण्ट सं0 1 व 2 ने अपनी संयुक्त बहस में कथन कियाकि प्रश्गनत भूमि सव0 रामसिंह ने अपने जीवनकाल में ही सामुहिक कृषि सहकारी समिति के नियमों के अनुसार मुझ प्रतिवादी को वारिस नियुक्त कर दिया था तथा रामसिंहकी मृत्यु के बाद प्रत्येक सभा व कार्यवाही में बतौर उत्तराधिकारी एवं सदस्य उपस्थित होता रहा रहा। राजस्व रिकार्ड में वि[illegible] इंतकाल संख्या 127 के जरिये भूमि शांति देवी व उसके तीनों पु[illegible] गई है ऐंसी गलत प्रविष्टि से वादीगण को कोई हक अधिकार नहीं [illegible] सकते हैं। वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रश्नगत भूमि [illegible]वादी तन्हा मालिक काबिज खतोदार काश्तकार है और बतौर मालिक खातेदार प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी के शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी बाधा के चली उसके कब्जे में चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 415 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 2/1 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में उसे 1/3 हिस्सा की कृषि भूमि की घोषणा, खाता विभाजन, शाश्वत व्यादेश तथा मध्यावर्ती लाभ दिया जावे।

8. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

10. प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रश्यनत आराजी का नान्तरकरण विरास्तन वादीगण के नाम दर्ज है, प्रतिववादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार नामान्तरण की कार्यवाही से किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही हेाते हैं। नामान्तकरण एक फिस्कल प्रासेडिंग है। राजस्थान कोपरेटिव सोसायटी एक्ट की धारा 26 के अनुसार किसी सोसायटी सदस्य के देहान्त के उपरान्त उसे प्राप्त होने वाला हिस्सा नामित व्यक्ति को प्राप्त होता है। नामित न होने की स्थिति में ही मृतक सदस्य के विधि वारिसान को नियमानुसार हिस्सा प्राप्त होता है। स्व0 रामसिंह द्वारा दिनांक 31.12.1972 को जरिये पत्र प्रतिवादी सं0 1 अपना उत्तराधिकािरी नियुक्त किया गया तथा स्व0 रामसिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0 1 को दिनांक 25.03.1981 को सहकारी समिति का सदस्य बनाया गया। जिसके बाद सहकारी मिति की मिटिंग व अन्य समस्त कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा बतोर सदस्य भाग लिया गया है। प्रदर्श–ए– प्रर्श ए 44 ए व ए 45 ए के अवलाकन से प्रतिवादी संख्या 1 का सोसायटी का सदस्य होना सिद्ध होता है।तथा प्रदर्श 43 ए से प्रतिवादी संख्या 1 का सायटी का सदस्य होना व दिनांक 04.08.1995 को सोसायटी अवसायन में लिया जाना सिद्ध होता है। अपीलाण्ट ने न्यायिक दृष्टान्तों में नामिति के सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित अभिमतों को प्रस्तुत किया है जबकि वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 25.03.1981 को ही सोसायटी का सदस्य नियुक्त हो चुका था जिसमें वादीगण द्वारा प्रसुत्त न्यायिक दृष्टान्त चस्पा नहीं होते हैं। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत अन्य कोई ऐसा तथ्य अपीलाण्ट ने अपील में प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। फलतः दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य हैं।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर उपरोक्त दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं एवं उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.03.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक पृथक रखी जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.6.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/6/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:13 IST
Reason: SelfAttested